

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
फौजदारी अपीलीय अधिकारिता

फौजदारी अपील संख्या 1492/2009

नरेन्द्र कुमार

अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

प्रत्यर्थी(गण)

सह

फौजदारी अपील संख्या 1493/2009

निर्णय

न्या. उदय उमेश ललित

फौजदारी अपील सं. 1492/2009

1. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (फौजदारी) सं. 509/1996 में दिनांक 02.05.2008 को पारित निर्णय एवं आदेश की विशुद्धता पर प्रश्न उठाती है।
2. भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम , 1971 की धारा 6(6)(ग) द्वारा जैसा कि संशोधित है भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (संक्षिप्त में "MISA") की धारा 3(2) तथा आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1974 की धारा 2(1)(ग)(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर के पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 05.11.1974 के अपने आदेश द्वारा निदेश किया कि रौशन

लाल को तस्करी वाली वस्तुओं के कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से नज़रबंद कर दिया जाए।

3. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 (संक्षिप्त में “COFEPOSA”) दिनांक 13.12.1974 को प्रवृत्त हुआ। पंजाब सरकार, गृह विभाग, चंडीगढ़ के उपसचिव ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 19.12.1974 को उक्त रौशन लाल को तस्करी की हुई वस्तुओं के कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से नज़रबंद किए जाने का आदेश पारित किया। नज़रबंद किए जाने के आदेश के समर्थन में नज़रबंदी के आधारों में, अन्य के साथ-साथ, यह भी बताया गया था कि जुलाई, 1974 के प्रथम सप्ताह में लाहौर, पाकिस्तान के निवासी स्वर्ण के कुख्यात तस्कर युसुफ नामक व्यक्ति ने रौशन लाल से संपर्क किया था जिसने रुपये 600/- प्रति तौला की दर से तस्करी किये हुए स्वर्ण को खरीदने का इकरार किया था ; रौशन लाल ने तस्करी किए हुए 50 स्वर्ण बिस्कुट खरीदे थे एवं रुपये 3 लाख का भुगतान किया था एवं उसके पश्चात उसने 25 स्वर्ण बिस्कुट खरीदे थे जिसमें प्रत्येक 10 तौले का था जो दिनांक 18.08.1974 को तस्करी किये गए थे और रुपये 1.5 लाख का भुगतान किया था।

4. दिनांक 17.01.1975 को रौशन लाल ने पुलिस अधीक्षक, पटियाला के माध्यम से पंजाब राज्य को संबोधित करते हुए दिनांक 19.12.1974 के नज़रबंदी के आदेश के विरुद्ध एक अभ्यावेदन दिया। अभ्यावेदन को राज्य द्वारा दिनांक 11.02.1975 को रद्द कर दिया गया। दिनांक 29.04.1975 अथवा उसके आस-पास रौशन लाल के पुत्र ओम प्रकाश ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 138/1975 दायर किया जिसमें उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट की माँग की थी एवं दिनांक 05.11.1974 एवं 19.12.1974 वाले उक्त नज़रबंदी आदेश को निरस्त कर दिए जाने की प्रार्थना की थी।

5. 1975 के संशोधन अधिनियम द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम में धारा 12 क सशीर्षक “आपातकाल से सम्बंधित विशेष प्रावधान” दिनांक 01.07.1995 के प्रभाव से जोड़ी गयी है। तत्पश्चात् तुरंत ही 1975 का संशोधन अधिनियम जो दिनांक 12.12.1975 को प्रवृत्त हुआ ने धारा 10क सशीर्षक “नज़रबंदी की अवधि का विस्तार” जोड़ा। इसके पश्चात्, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम , 1976 (संक्षिप्त तः में “SAFEMA”) दिनांक 25.01.1976 के प्रभाव से प्रवृत्त हुआ।

6. आपात जो दिनांक जो 25.06.1975 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा द्वारा प्रवृत्त हुआ दिनांक 21.03.1977 को उठा लिया गया। अगले ही दिन अर्थात् 22.03.1977 को रौशन लाल को सम्मिलित करते हुए 49 बंदियों के सम्बन्ध में नज़रबंदी आदेश राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।

7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.1977 को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत रौशन लाल को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे अपनी आय के स्रोत, कमाई अथवा कार्य अथवा माध्यम जिसके द्वारा उसने उक्त नोटिस की अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों को अर्जित किया था को दिखाने की माँग की गयी थी और उससे कारण बताने को भी कहा गया था कि क्यों न उक्त संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित संपत्तियाँ घोषित कर दिया जाए एवं तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा ज़ब्त कर लिया जाए। रौशन लाल की पत्नी श्रीमती शीलावती को भी वैसा ही नोटिस दिनांक 11.01.1978 को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 6(1) के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया था जिसमें उससे कारण बताने को कहा गया था कि नोटिस की अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों को क्यों न अवैध घोषित कर दिया जाए एवं तस्कर और विदेशी मुद्रा

छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा ज़ब्त कर लिया जाए।

8. दिनांक 24.02.1978 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष रिट याचिका सं. 138/1975 प्रस्तुत हुई एवं रिट याची के अधिवक्ता के बयान पर कि ए नज़रबंदी के आदेश के अनुसरण में याची अभिरक्षा से रिहा कर दिया गया था, यह टिप्पणी की गयी थी कि याचिका निष्फल हो चुकी थी अतः खारिज कर दी गयी।

9. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत नोटिसों के रौशन लाल द्वारा उत्तर पर विचार करने एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.1978 को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया। यह माना गया कि आदेश की अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थीं एवं इन्हें समस्त भारों से मुक्त केंद्रीय सरकार के कब्जे में दे दिया गया। शीलावती को जारी किये गए नोटिस से उत्पन्न मामले में भी ऐसा ही आदेश पारित किया गया। रौशन लाल एवं शीलावती द्वारा दायर की गयी अपीलें एफ.पी.ए. सं. 41/78-79 एवं एफ.पी.ए. सं. 42/78-79 अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02.02.1979 के पृथक आदेशों द्वारा खारिज कर दी गईं एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि कर दी गई।

10. रौशन लाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका सं. 220/1979 दायर करके इस न्यायालय में आये एवं उन्होंने सक्षम प्राधिकारी एवं अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी। रिट याचिका को भारत के महान्यायवादी द्वारा दायर की गयी स्थानान्तरण याचिकाओं को

सम्मिलित करते हुए अमुक समान मामलों के संग देखा गया। यह समस्त मामले इस न्यायालय के 9 न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा दिनांक 12.05.1994 को **भारत के महान्यायवादी एवं अन्य बनाम अमृतलाल प्राजीवनदास एवं अन्य** में निर्णय द्वारा निपटाया गया। इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष एवं जारी किये गए निदेश निम्न प्रकार हैं:-

“56. सार रूप में:-

(1) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम एवं तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम पारित करने में संसद पूर्ण रूप से सक्षम था।

(2) इस निर्णय में दिए गए तर्क के कारणवश भारत के संविधान के 39वीं एवं 40वीं संशोधन अधिनियम की वैधता पर हम कोई विचार व्यक्त नहीं करते जिनके द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम एवं तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। हम उन्हें अच्छा एवं वैध मानते हैं। संविधान के 42वीं संशोधन अधिनियम की वैधता के सम्बन्ध में भी कोई बहस नहीं की गयी।

(3) (क) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किया गया नज़रबंदी आदेश जो उसकी धारा 12-क द्वारा शासित था, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 2(2)(ख) के अर्थ एवं उद्देश्य हेतु नज़रबंदी आदेश ही था। क्योंकि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 14, 21 एवं 22 को निलंबित करते हुए अनुच्छेद 359(1) के अंतर्गत आदेश जारी कर दिया था तो अनुच्छेद 359 के खंड (1-क) द्वारा संसद के लिए यह सक्षम था कि जब तक राष्ट्रपति का आदेश प्रवृत्त था उस अवधि हेतु एवं उस दौरान तक सीमित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 12-क को पारित कर दे। उसका लक्ष्य आपात के उद्देश्यों को प्राप्त करना था। जब धारा 12-क को विधान के सक्षम भाग के रूप में मान लिया जाए तो उसके अंतर्गत किये गए नज़रबंदी आदेश (अर्थात् उक्त प्रावधानों के लागू होने से सम्बंधित नज़रबंदी आदेश) को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण)

अधिनियम की धारा 2(2)(ख) के अर्थ एवं उद्देश्य हेतु नज़रबंदी का आदेश नहीं माना जाएगा विशेषतः [उनके परन्तुक (iii) को सम्मिलित करते हुए] धारा 2(2)(ख) की स्पष्ट भाषा को दृष्टि में रखते हुए एवं संविधान की 9वीं अनुसूची में इन दोनों अधिनियमितियों के शामिल कर दिए जाने पर सुरक्षा प्रदान किये जाने के चलते।

(ख) नज़रबंदी का एक आदेश जिस पर धारा 12-क लागू होती है एवं नज़रबंदी का एक आदेश जिस पर धारा 12-क लागू नहीं होती है, ऐसे बंदियों एवं उनके परिवारजनों एवं सहयोगियों पर तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम लागू करने हेतु आधार के रूप में कार्य कर सकता है बशर्ते कि नज़रबंदी का ऐसा आदेश धारा 2(2)(ख) के परन्तुक के किसी उपखंड से ग्रस्त नहीं हो। जब ऐसे बंदी ने उक्त नज़रबंदी पर (चाहे स्वयं अथवा अपने वाद मित्र द्वारा) नज़रबंदी के ऐसे आदेश के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाना उचित नहीं समझा अथवा उस पर आक्रमण करने में विफल रहे तो जब इसे उस पर अथवा उसके परिवारजन अथवा सहयोगियों पर तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम लागू करने का आधार बनाया जाएगा तो वो अथवा उसके परिवारजन एवं सहयोगी इस पर आक्रमण नहीं कर सकते अथवा इसकी वैधता पर प्रश्न नहीं उठा सकते।

(4) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) में “अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों” की परिभाषा अवैध अथवा निष्क्रिय नहीं है।

(5) परिवारजन एवं सहयोगियों पर तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम लागू किया जाना [धारा 2(2) के खंड (ग) एवं (घ) में] भी सामान्य रूप से वैध एवं प्रभावी है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के जाल में लाने का उद्देश्य एवं लक्ष्य यही है कि बंदी अथवा दोषसिद्ध, जैसा भी मामला हो, की संपत्तियाँ जहाँ भी वो हों, जैसी भी वो रखी गयी हों और जिनके द्वारा भी वो रखी गयी हों, वहाँ तक पहुँचा जा सके। जैसा कि इस निर्णय में व्याख्या की गयी है इस दृष्टि से उनकी परिकल्पना नहीं की गयी है कि ऐसे परिवारजन एवं सहयोगियों के स्वतंत्र संपत्तियों को कब्जे में ले लिए जाएं। धारा 2(2) के खंड

(इ) द्वारा देखे गए “धारक” की स्थिति भिन्न है जैसा कि निर्णय में उसकी व्याख्या की गयी है।

(6) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 5-क अवैध अथवा शून्य नहीं है। यह अनुच्छेद 22 के खंड (5) का उल्लंघन नहीं करती।

(7) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 14, 19 अथवा 21 का उल्लंघन करते हैं इसे स्थापित करने में याचीगण विफल रहे हैं, अतिरिक्त इससे कि संविधान की 9वीं अनुसूची में अधिनियम के शामिल हो जाने के चलते मिली सुरक्षा को छोड़कर।

57. समस्त रिट याचिकाएँ, स्थानांतरित मुकद्दमे एवं अपीलें तदनुसार निपटाई जाती हैं। न्यायालय एवं प्राधिकरण जिनके समक्ष तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियाँ लंबित हैं वो विधि अनुसार एवं इस निर्णय के प्रकाश में उन्हें निपटा देंगे। समस्त संपृक्त के हित में है कि कार्यवाहियाँ शीघ्रतापूर्वक समाप्त की जाएँ।

11. तत्पश्चात् स्वर्गीय श्री रौशन लाल के पुत्र के रूप में इस अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.08.1996 को दीवानी रिट याचिका सं. 509/1996 दायर की गयी जिसमें दिनांक 19.12.1974 के उपरोक्त नज़रबंदी आदेश के साथ-साथ दिनांक 29.05.1978 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने का प्रयास किया गया। याचिका में प्रार्थनाएँ निम्न थीं :-

“(क) प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा दिनांक 19.12.1974 को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत पारित नज़रबंदी आदेश समाप्त किया जाए।

(ख) प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दिनांक 29.05.1978 को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 19 (1) के अंतर्गत पारित आदेश समाप्त किया जाए।

(ग) प्रत्यर्थी द्वारा उक्त संपत्तियों अर्थात् मकान संपत्ति नगरपालिका सं. 1115/X-5, धाब खटिका, आर.बी. सेन्दास रोड,

अमृतसर एवं कारखाना परिसर सं. 76, 78-मिन प्राइवेट,
खेवट/खतौनी सं. 31, खसरा सं. 745, जवाहर नगर, बटला रोड,
अमृतसर के साथ-साथ उसमें लगाई गयी मशीनों को लेने अथवा
याचीगण को उनसे बेदखल करने से रोका जाए।

(घ) ऐसी अन्य रिट, आदेश अथवा निदेश जारी किये जाएँ जो यह
माननीय न्यायालय इस मुकद्दमे की परिस्थितियों एवं तथ्यों के
आधार पर न्याय युक्त एवं उचित विचार करे ।

12. उच्च न्यायालय ने पाया कि रौशन लाल द्वारा नज़रबंदी के आदेश को
चुनौती नहीं दिए जाने के विरुद्ध रिट याचिका सं. 138/1975 का खारिज किया
जाना, रिट याचिका सं. 509/1996 पूर्व न्याय के सिद्धांत द्वारा बाधित है। इस
न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा फौजदारी अपील
सं. 1046/1997 को दायर करके उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की शुद्धता को
चुनौती दी गयी। अपील को इस न्यायालय के दिनांक 24.02.2004 के आदेश
द्वारा ग्रहण किया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए मामले
को उच्च न्यायालय में गुणता के आधार पर पुनः निपटाए जाने हेतु वापस रिमांड
किया गया। अपने आदेश के दौरान, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि :-

“..... यह संज्ञान में लेना सुसंगत है की नज़रबंदी के आधार की
शुद्धता अथवा गुणता एवं नज़रबंदी आदेश की वैधता को
अधिनिर्णित नहीं किया गया था।

....

... .. हमारा विचार है कि क्योंकि तस्कर और विदेशी मुद्रा
छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम , 1976 के अधीन
कार्यवाहियों के बड़े गंभीर परिणाम हैं इसलिए अपीलार्थी को यह
अवसर दिया जाना चाहिए कि वो इस तथ्य को स्थापित करे कि
उसके पिता की नज़रबंदी विधि अनुसार नहीं थी।”

13. अतः मामला उच्च न्यायालय द्वारा पुनः सुना गया एवं दिनांक 02.05.2008 के इसके निर्णय एवं आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गयी। यह टिप्पणी की गयी कि रौशन लाल की नज़रबंदी आपात के दौरान अथवा उसकी निरंतरता में चलती रही एवं आपात के समापन से पूर्व नज़रबंदी को वापिस नहीं लिया गया एवं इस प्रकार तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 2(2)(ख) के प्रावधान लागू होंगे। उच्च न्यायालय ने तत्पश्चात उठाये गए आधार पर नज़रबंदी के आदेश को दी गई चुनौती पर विचार किया। यह निवेदन कि नज़रबंदी आदेश उन्हीं सामग्रियों पर पारित किया गया जिन पर MISA के प्रावधानों के अंतर्गत पारित किये गए आदेश में भरोसा किया गया था, दिनांक 17.01.1975 के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया था, उक्त अभ्यावेदन में माँगे गए दस्तावेज़ात उपलब्ध नहीं कराए गए थे एवं यह कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया, यह सब बिना किसी बात एवं गुणता के पाया गया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गयी, जिस निर्णय के विरुद्ध यह अपील है ।

14. हमने अपीलार्थी के फा ज़िल अधिवक्ता श्री आर.एम. बगई एवं प्रत्यर्थीगण हेतु फ़ाज़िल अतिरिक्त महासोलिसिटर श्री अमन लेखी को सुना।

15. फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री बगई द्वारा निवेदन किया गया कि यद्यपि गुणता के आधार पर निपटान हेतु मामले को उच्च न्यायालय में विशेष रूप से रिमांड किया गया था, अपील किये गए निर्णय ने वास्तविक रूप से दिनांक 24.02.2004 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया था। आगे यह निवेदन किया गया कि नजरबंदी आदेश निम्न त्रुटियों के आधार पर दोषपूर्ण है :-

(क) नजरबंदी के आधार में रखे गए सुसंगत अभिवाक्य समान थे एवं MISA के अंतर्गत पारित पूर्व के आदेश से दोहराए गए थे एवं इस प्रकार नज़रबंदी आदेश में मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया था।

(ख) नज़रबंदी के आधार वैसी भाषा में विरचित नहीं किये गए जिसे बंदी जानता था।

(ग) दिनांक 17.01.1975 के अभ्यावेदन पर बिलकुल ही विचार नहीं किया गया था।

16. दूसरी और फ़ाज़िल अतिरिक्त महासोलिसिटर श्री लेखी ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण बिलकुल ठीक था एवं अभिकथित त्रुटियों का कोई अस्तित्व ही नहीं था । यह निवेदन किया गया कि आदेश में मस्तिष्क के प्रयोग नहीं किये जाने की बात गलत है, दिनांक 17.01.1975 का अभ्यावेदन दिनांक 11.02.1975 को राज्य द्वारा रद्द कर दिया गया था एवं रद्द कर दिए जाने की सूचना बंदी को दे दी गयी थी एवं किसी भी स्तर पर यह शिकायत नहीं की गयी थी कि बंदी को नजरबंदी के आधार की सूचना उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नहीं दी गयी थी।

17. **अमृतलाल** में इस न्यायालय द्वारा निम्न प्रश्न विरचित किये गए थे जिनके उत्तर के सार पैरा 56 में दिए गए हैं जैसा कि उपरोक्त में है। पैरा 8 में प्रश्न निम्नानुसार विरचित किए गए थे:-

“8. याचीगण हेतु पेश होने वाले अधिवक्ता द्वारा कई प्रतिविरोध किये गए जिन सभी पर श्री अल्ताफ अहमद, फ़ाज़िल अतिरिक्त महा सोलिसिटर द्वारा विवाद किया गया। वकीलों द्वारा किये गए अंतर्विरोधी प्रतिविरोधों से उत्पन्न विवादक प्रश्नों के रूप में विरचित किये जायेंगे जो निम्न प्रभाव के हैं:-

- (1) क्या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम एवं तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम को अधिनियमित करने में संसद सक्षम नहीं था?
- (2) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत उद्घोषित आपात के दौरान - तदपश्चाती अनुच्छेद 19 का “निलंबन” एवं उस कालावधि के दौरान अनुच्छेद 14, 21 एवं 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लागू किये जाने के हेतु न्यायालय पहुँचने के निलंबित अधिकार के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 12-क के अंतर्गत किया गया नजरबंदी आदेश बंदी, उसके परिवारजन एवं सहयोगियों के विरुद्ध तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत की जाने वाले कार्यवाही का आधार बन सकता है? एवं यदि ऐसा हो सकता है तो क्या बंदी एवं/अथवा उसके परिवारजन एवं सहयोगियों द्वारा जब उसके अथवा उनके विरुद्ध तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियाँ की जाएँ तो नजरबंदी के ऐसे आदेश की वैधता को चुनौती दी जा सकती है जबकि नजरबंदी का उक्त आदेश निष्क्रिय हो चुका हो एवं उसको उसके प्रभावी रहने के दौरान चुनौती नहीं दी गयी हो अथवा विफलता पूर्वक चुनौती दी गयी हो?
- (3) यदि प्रश्न 1 का उत्तर सकारात्मक है तो नजरबंदी के आदेश की वैधता का परीक्षण उक्त आदेश पारित करते समय विधि की स्थिति को एवं इसके प्रभावी रहने की कालावधि को निर्देशित करते हुए किया जाएगा अथवा तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस के जारी किये जाने की तिथि पर विधि की स्थिति को निर्देशित करते हुए किया जाएगा?
- (4) क्या तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम की धारा 3(1) के खंड (ग) में दी गयी “अवैध रूप से अर्जित संपत्ति” की परिभाषा अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 द्वारा याचिकाकर्ताओं को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है एवं क्या संविधान के 9 वीं अनुसूची में तस्कर और

विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम का शामिल किया जाना ऐसे उल्लंघन, यदि कोई हो, को सही ठहरता है?

(5) क्या बंदियों के परिवारजन एवं सहयोगियों पर तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम का लागू किया जाना अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 का उल्लंघन है? क्या उक्त अधिनियम का 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना ऐसे उल्लंघन, यदि कोई हो, को सही ठहराता है?

(6) क्या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 5-क अनुच्छेद 22 के खंड (5) का उल्लंघन है?

उपरोक्त प्रश्नों पर उचित रूप से विचार करने हेतु यह आवश्यक है कि दोनों अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों को संक्षिप्ततः निर्देशित किया जाए।”

18. प्रश्न 2 एवं 3 को देखते हुए इस न्यायालय ने तीन फ़ाज़िल न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा *भारत संघ बनाम हाजी मस्तान मिर्ज़ा* में पारित निर्णय पर इस न्यायालय ने पैरा 40-41 में विचार किया। उक्त पैरा निम्न थे :-

“40. इस समय, हमारे संज्ञान में लाये गए इस न्यायालय के दो निर्णयों को देखना उचित होगा। पहला तीन न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा पारित *भारत संघ बनाम हाजी मस्तान मिर्ज़ा* है। उसका प्रत्यर्थी प्रथमतः दिनांक 17.09.1974 के आदेश द्वारा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA) के अंतर्गत नज़रबंद किया गया था। दिनांक 19.12.1974 को उक्त आदेश वापस ले लिए गया था परन्तु उसी समय विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 3 (1) के अंतर्गत नज़रबंदी आदेश पारित किया था। दिनांक 23.12.1974 को उसे नज़रबंदी के आधार बताये गए थे। दिनांक 25.06.1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत आपात उद्घोषित कर दिया गया जो दिनांक 21.03.1977 तक प्रवृत्त रहा। प्रत्यर्थी को दिनांक 23.03.1977

को रिहा किया गया। तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत उसे, उसके परिवार जन एवं सहयोगियों को नोटिस जारी किया गया जिस पर उसने नज़रबंदी के आदेश दिनांक 19.12.1974 की वैधता को चुनौती देते हुए बम्बई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जिसके आधार अन्य के साथ-साथ यह था कि अपेक्षित संतुष्टि प्राप्त करने हेतु स्पष्टतः एवं बिना किसी गलती के भरोसा किये गए दस्तावेजात उसे उपलब्ध नहीं कराए गए थे तथा वो दस्तावेजात जो उसकी नज़रबंदी के आधार के रूप में निर्देशित किये गए थे। बम्बई उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को ग्रहण किया जिसके विरुद्ध भारत संघ ने इस न्यायालय में अपील की। पीठ के निमित्त बोलते हुए न्या. वर्दराजन तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 2, 6 एवं 7 के प्रावधानों को निर्देशित किया एवं इस प्रकार टिप्पणी की :- (SCC p.432, पैरा 10)

“अतः विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत नज़रबंदी का एक वैध आदेश तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यवाही याँ करने हेतु पहली शर्त है। यदि दिनांक 19.12.1974 के आक्षेपित नज़रबंदी आदेश को किसी कारण निरस्त कर दिया जाये तो तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धाराएँ 6 एवं 7 के अंतर्गत की गयी कार्यवाहियाँ किसी कारण नहीं टिक सकती। अतः हमें विचार करना है कि क्या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 19.12.1974 का आक्षेपित आदेश शून्य है एवं निरस्त किये जाने का भागी है।”

41. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नज़रबंदी का आदेश दिनांक 25.06.1975 को आपात की उद्घोषणा से बहुत पहले किया गया था। उसे नज़रबंदी के आधार बताये गए थे किन्तु उस पर भरोसा किये गए दस्तावेजात की तामील नहीं हो सकी थी। निर्णय से यह प्रतीत नहीं होता कि उक्त प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में क्या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 12-क के अंतर्गत घोषणा की गई थी। यद्यपि इसे इस तथ्य से माना जा सकता है कि उसकी

नज़रबंदी दिनांक 23.03.1977 तक बनी रही थी। उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने यह कहा कि प्रत्यर्थी बंदी नज़रबंदी के आदेश पर प्रश्न उठाने हेतु स्वतन्त्र था जब उसके विरुद्ध तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यवाही याँ की जा रही हों। निर्णय के तर्क से सहमत होना संभव नहीं है। दो दृष्टिकोण से इस मुद्दे को देखा जा सकता है। यदि यह नज़रबंदी का एक सामान्य आदेश है [जो धारा 12-क द्वारा शासित नहीं और न ही अनुच्छेद 22 की प्रवृत्ति को निलंबित कर रहे अनुच्छेद 359(1) के अंतर्गत किसी आदेश द्वारा सुरक्षित] एवं जब उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया तो बंदी ने इसको चुनौती नहीं दी अथवा विफलातापूर्वक चुनौती दी तो कोई तर्क नहीं कि उसे जब उसके विरुद्ध तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाए तो उसे उसको चुनौती देने की अनुमति दी जाए - क्योंकि नज़रबंदी के तथ्य पर स्वतः तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही नहीं होती बल्कि यह केवल आरंभिक स्तर होता है। दूसरी ओर यदि यह धारा 12-क द्वारा शासित [अथवा अनुच्छेद 22 को निलंबित करने वाले अनुच्छेद 359(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति का आदेश द्वारा] किया गया नज़रबंदी आदेश हो तो इसे संभवतः आपातकाल के दौरान भी उक्त प्रावधानों द्वारा नहीं बाधित आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

द्वितीय, यद्यपि तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही के समय ऐसे आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी जाए तो भी चुनौती आपात काल के दौरान जो आधार खुले थे अथवा उपलब्ध थे उन्हीं तक सीमित थी; अन्यथा अनुच्छेद 358(1) एवं 359(1-क) के समापन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अतः हमारा यह कहना है कि जिस व्यक्ति ने आपात के दौरान नज़रबंदी के ऐसे आदेश को चुनौती देना नहीं चाहा जब उसे नज़रबंद किया गया अथवा उसने इसे विफलातापूर्वक चुनौती दी तो वो जब उसके विरुद्ध तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम लागू किये जाने के लिए इसे आधार बनाया जा रहा है तो इसे चुनौती नहीं दे सकता। उपरोक्त वर्णित दोनों ही परिस्थितियों में अर्थात्

नज़रबंदी की अवधि के दौरान चुनौती दी जा रही हो अथवा बाद में जब उसके विरुद्ध तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही याँ की जा रही हों उस समय, चुनौती के आधार एवं न्यायिक समीक्षा की सीमा वही होगी। जब उसे नज़रबंद किया जा रहा था उस समय प्रत्यक्ष रूप से नज़रबंदी को चुनौती देने में विफलता नज़रबंदी के समापन के पश्चात् उसे इसे चुनौती देने से बाधित कर देती है जब इसे तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही आरम्भ करने का आधार बनाया जा रहा हो।

19. *अमृतलाल* में विरचित प्रश्न सं. 2 उन मुकद्दमों से सम्बंधित है जब विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 12- क के अंतर्गत नज़रबंदी के आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत उद्घोषित आपातकाल के दौरान किए गए हों। तथापि पैरा 40 एवं 41 में विचार किये गए *हाजी मस्तान मिर्ज़ा* वाला निर्णय भिन्न तथ्यात्मक परिस्थिति से सम्बंधित था। *हाजी मस्तान मिर्ज़ा* जो *अमृतलाल* के निर्णय के पैरा 41 में, जैसा कि इंगित है, दिनांक 25.06.1975 को आपात की उद्घोषणा से बहुत पहले नज़रबंदी का आदेश किया गया। *अमृतलाल* में 9 न्यायमूर्तियों की पीठ ने यह पाया कि *हाजी मस्तान मिर्ज़ा* में लिए गए विचार से सहमत होना संभव नहीं था। यह टिप्पणी की गयी कि मामले को दो पहलुओं से देखा जा सकता है; प्रथमतः, यदि यह नज़रबंदी का एक आदेश था जिस पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 12 क लागू नहीं हो ती एवं बंदी ने नज़रबंदी के आदेश को चुनौती नहीं दिया अथवा इसे विफलतापूर्वक चुनौती दिया तो कोई तर्क नहीं पाया जाता कि उसे जब उसके विरुद्ध तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही हो इसे चुनौती देने की अनुमति दी जाए। द्वितीय, यदि नज़रबंदी का आदेश धारा 12क के अंतर्गत शासित था तो नज़रबंदी के ऐसे आदेश को आपातकाल के दौरान भी

चुनौती दी जा सकती है एवं आपात काल के दौरान जो आधार उपलब्ध थे उन्हीं तक चुनौती सीमित होगी। पैराग्राफ के समापन भाग में यह टिप्पणी की गयी कि जब उसे नज़रबंद किया गया था उस समय नज़रबंदी को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने में विफलता बंदी को नज़रबंदी के समापन के पश्चात् इसे चुनौती देने से बाधित कर देगी जब ऐसी नज़रबंदी को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने का आधार बनाया जा रहा है।

तत्काल मुकद्दमे में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत नज़रबंदी का आदेश दिनांक 19.12.1974 को पारित किया गया था एवं नज़रबंदी को चुनौती देने वाली याचिका दिनांक 29.04.1975 को दायर की गयी थी अर्थात् दिनांक 25.06.1975 को आपात की उद्घोषणा से पूर्व | आपात उठा लिए जाने के पश्चात बंदी को रिहा कर दिया गया। इस समस्त कालावधि के दौरान, उच्च न्यायालय में रिट याचिका जीवित एवं लंबित रही एवं दिनांक 24.02.1978 को रिट याची के अधिवक्ता के बयान पर इसके निष्क्रिय होने के कारणवश निपटा दिया गया। इस प्रकार यह मुकद्दमा इस न्यायालय के *अमृतलाल* वाले निर्णय के पैरा 41 के अन्दर आ जाता है। तथापि, जब मामले को गुणता के आधार पर निपटान हेतु दिनांक 24.02.2004 को इस न्यायालय द्वारा वापस कर दिया गया था तो हम यह देखने के लिए कि क्या गुणों पर सही ढंग से विचार किया गया, इस पर विचार करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं।

20. इस स्तर पर हम विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम एवं तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उद्धृत करेंगे:-

क] विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 10, 10क एवं 12क निम्न प्रकार है:-

“10. नज़रबंदी की अधिकतम कालावधि - किसी नज़रबंदी के आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति के नज़रबंद किये जाने की अधिकतम कालावधि जिस पर धारा 9 के प्रावधान लागू नहीं होते, जिसकी पुष्टि धारा 8 के खंड (च) के अंतर्गत हो गयी हो, नज़रबंदी की तिथि से एक वर्ष होगी अथवा विनिर्दिष्ट कालावधि होगी, जो भी कालावधि बाद में समाप्त हो रही हो एवं किसी नज़रबंदी के आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति के नज़रबंद किये जाने की अधिकतम कालावधि जिस पर धारा 9 के प्रावधान लागू होते हैं, जिसकी पुष्टि धारा 8 के खंड (च) सहपठित धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत हो गयी हो, नज़रबंदी की तिथि से दो वर्ष होगी अथवा विनिर्दिष्ट कालावधि होगी जो भी कालावधि बाद में समाप्त हो रही हो:-

बशर्ते कि इस धारा में अन्तर्निहित कुछ भी उपयुक्त सरकार के नज़रबंदी के आदेश को किसी भी समय पहले ही वापस लेने अथवा उसमें फेरबदल करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा एवं धारा 10 क में “विनिर्दिष्ट कालावधि” से तात्पर्य वो कालावधि है जिसके दौरान दिनांक 03 दिसंबर, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अंतर्गत जारी आपात की उद्घोषणा एवं दिनांक 25 जून, 1975 को उस उपखंड के अंतर्गत जारी आपात की उद्घोषणा दोनों प्रवृत्त रहे हों।

“10क नज़रबंदी की कालावधि का विस्तार:- (1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में जो भी अन्तर्निहित हो उसके बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति की नज़रबंदी जो नज़रबंदी के ऐसे आदेश के अधीन नज़रबंद किया गया हो जिसकी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976, के प्रारम्भ होने से पूर्व धारा 8 के खंड (च) के अंतर्गत पुष्टि की गई हो एवं जो ऐसे प्रारम्भ होने से तुरंत पहले प्रवृत्त हो, जब तक कि उसकी नज़रबंदी की तिथि से एक वर्ष से कम की किसी कालावधि हेतु उक्त खंड के अंतर्गत युक्तियुक्त सरकार द्वारा उसकी नज़रबंदी को निरंतर नहीं किया गया हो,

तो ऐसे आदेश के अंतर्गत उसकी नज़रबंदी की तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक अथवा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक जो भी अवधि पश्चात्त्वश समाप्त हो रही हो, तक निरंतर बनी रहेगी:-

बशर्ते कि इस उप-धारा में अंतर्निहित कुछ भी ऐसे नज़रबंदी के आदेश को किसी भी पूर्व समय वापिस लेने अथवा संशोधित करने की युक्तियुक्त सरकार की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में जो भी अन्तर्निहित हो उसके बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति की नज़रबंदी जो नज़रबंदी के ऐसे आदेश के अधीन नज़रबंद किया गया हो जिसकी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976, के प्रारम्भ होने से पूर्व धारा 8 के खंड (च) सहपठित धारा 9 की उप-धारा(2) के अंतर्गत पुष्टि की गई हो एवं जो ऐसे प्रारम्भ होने से तुरंत पहले प्रवृत्त हो, जब तक कि उसकी नज़रबंदी की तिथि से एक वर्ष से कम की किसी कालावधि हेतु उक्त खंड (च) सहपठित कथित उप-धारा(2) के अंतर्गत युक्तियुक्त सरकार द्वारा उसकी नज़रबंदी को निरंतर नहीं किया गया हो, तो ऐसे आदेश के अंतर्गत उसकी नज़रबंदी की तिथि से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति तक अथवा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक जो भी अवधि पश्चात्त्वश समाप्त हो रही हो, तक निरंतर बनी रहेगी:-

बशर्ते कि इस उप-धारा में अंतर्निहित कुछ भी ऐसे नज़रबंदी के आदेश को किसी भी पूर्व समय वापिस लेने अथवा संशोधित करने की युक्तियुक्त सरकार की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी ।

“12क. आपात से निपटने हेतु विशेष प्रावधान (1) इस अधिनियम में अंतर्निहित कुछ भी अथवा प्राकृतिक न्याय के किसी नियम के बावजूद, 3 दिसंबर 1971 को संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अंतर्गत उद्घोषित आपात के चलने की अवधि अथवा 25 जून 1975 को उस खंड के अंतर्गत उद्घोषित आपात के दौरान अथवा 25 जून 1975 से

[24 मास की अवधि], जो भी अवधि कम हो, के दौरान उस धारा के प्रावधान प्रभावी होंगे।

(2) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1975, के प्रारंभ के पश्चात् किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत नज़रबंदी का कोई आदेश देते हुए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा कि मामला को, प्राधिकारी जो नज़रबंदी का आदेश दे रहा हो इस पर विचार करेगा कि उक्त धारा (1) में निर्दिष्ट उद्घोषणा (तत्पश्चात् इस धारा में आपात के रूप के निर्देशित) के विषय में आपात से प्रभावी रूप से निपटने हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की नज़रबंदी आवश्यक है एवं ऐसा विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा कि मामला हो, प्राधिकारी संतुष्ट हो कि आपात से प्रभावी रूप में निपटने हेतु ऐसे व्यक्ति को नज़रबंद करना आवश्यक है, वैसी सरकार अथवा प्राधिकारी इस प्रभाव का एक घोषणा भी करेंगे एवं संपृक्त व्यक्ति को घोषणा की एक प्रति भी देंगे:-

बशर्ते कि जब ऐसी घोषणा किसी प्राधिकारी द्वारा की गई हो तो ऐसी घोषणा करने की तिथि से 15 दिनों के अंतर्गत इस पर युक्तियुक्त सरकार द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाएगी एवं जब तक कि इसकी पुष्टि ऐसी समीक्षा के पश्चात् उपरोक्त 15 दिनों की अवधि के दौरान नहीं की जाए ऐसी घोषणा समाप्त हो जाएगी।

(3) किसी व्यक्ति की नज़रबंदी जिसके विषय में उप-धारा (2) के अंतर्गत घोषणा की गई हो क्या आपात से प्रभावी रूप से निपटने हेतु आवश्यक है या नहीं इसकी पुनः समीक्षा युक्तियुक्त सरकार द्वारा ऐसी घोषणा की तिथि से 4 मास के अन्दर की जाएगी एवं तत्पश्चात् 4 महीने से अधिक नहीं होने वाली अवधि के बाद एवं यदि ऐसी पुनः समीक्षा पर युक्तियुक्त सरकार को यह प्रतीत हो कि व्यक्ति की नज़रबंदी आपात से प्रभावी रूप में निपटने हेतु आवश्यक नहीं रही तो सरकार घोषणा वापिस ले लेगी।

(4) उप-धारा (2) अथवा (3) के अंतर्गत कोई विचार, समीक्षा अथवा पुनः विचार करते समय युक्तियुक्त सरकार अथवा प्राधिकारी, यदि वह सरकार अथवा प्राधिकारी अन्यथा करना लोकहित के विरुद्ध विचार करें तो अपने पास उपलब्ध सूचना एवं सामग्रियों के आधार पर बिना तथ्यों को बयान करते हुए अथवा संपृक्त व्यक्ति को किसी प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किए बिना कार्य कर सकते हैं।

(5) नज़रबंदी के ऐसे आदेश के अंतर्गत नज़रबंद किसी व्यक्ति को जिस पर उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होते हैं को आदेश पारित करने के आधार बताना आवश्यक नहीं होगा। उस अवधि के दौरान जब वैसे व्यक्ति के विषय में उस उप-धारा के अंतर्गत की गई घोषणा प्रवृत्त हो एवं तदानुसार धारा(3) की उप-धारा(3) के प्रयोजन हेतु ऐसी अवधि को नहीं गिना जाएगा।

(6) ऐसी नज़रबंदी के आदेश के अंतर्गत नज़रबंद प्रत्येक व्यक्ति की दशा में जिस पर उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होते हैं जो वैसे व्यक्ति हो जिसके विषय में उसके अंतर्गत घोषणा की गई हो, ऐसी घोषणा के प्रवृत्त रहने की अवधि के दौरान निम्न की गणना के प्रयोजन हेतु विचार में नहीं लाया जाएगा-

(i) धारा 8 के खंड (ख) एवं (ग) में विनिर्दिष्ट अवधियाँ;

(ii) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट “एक वर्ष” एवं “पाँच सप्ताह” की अवधि, उप-धारा(2)(i) में विनिर्दिष्ट “एक वर्ष” की अवधि एवं धारा 9 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट “ 6 मास” की अवधि

ख] तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम की धारा 2 निम्न है:-

“2. लागू होना: (1) इस अधिनियम के प्रावधान उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों पर ही केवल लागू होंगे।

(2) उप-धारा (1) में निर्देशित व्यक्तिगण निम्न हैं, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक व्यक्ति-

- (i) जो एक लाख रुपये के मूल्य से अधिक की सामग्री के सम्बन्ध में किसी अपराध हेतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8) अथवा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत दोषसिद्ध हुआ हो; अथवा
- (ii) जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अंतर्गत किसी अपराध हेतु जिसमें संलिप्त राशि अथवा मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो के लिए दोष सिद्ध हुआ हो; अथवा
- (iii) जो सागर सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8) अथवा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत दोषसिद्ध होने पर तदपश्चात् इन दोनों अधिनियमों में से किसी के अंतर्गत फिर दोष सिद्ध हुआ हो; अथवा
- (iv) जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947, (1947 का 7) अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अंतर्गत दोषसिद्ध होने पर तदपश्चात् इन दोनों अधिनियमों में से किसी के अंतर्गत फिर दोष सिद्ध हुआ हो;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके विषय में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के अंतर्गत नज़रबंदी का आदेश किया गया हो:-

बशर्ते कि-

- (i) नज़रबंदी का ऐसा आदेश जो ऐसा आदेश हो जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 अथवा 12(क) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सलाहकार मंडल की आख्या पर वापिस नहीं लिया गया हो अथवा सलाहकार मंडल की आख्या की प्राप्ति के पश्चात् अथवा सलाहकार मंडल के समक्ष निर्देशन से पूर्व; अथवा
- (ii) नज़रबंदी का ऐसा आदेश जो ऐसा आदेश हो जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान लागू होते हों, धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत समीक्षा हेतु समय की समाप्ति से पूर्व अथवा उसके आधार पर अथवा उक्त अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सलाहकार मंडल की आख्या पर वापिस नहीं लिया गया हो; अथवा
- (iii) नज़रबंदी का ऐसा आदेश जो ऐसा आदेश हो जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 12क के प्रावधान लागू होते हों, उस धारा की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रथम समीक्षा हेतु समय की समाप्ति से पूर्व अथवा उसके आधार पर अथवा उस अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 12क की उप-धारा (6) के अंतर्गत सलाहकार मंडल की आख्या के आधार पर वापिस नहीं लिया गया हो; अथवा
- (iv) नज़रबंदी का ऐसा आदेश सक्षम-अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया हों;
- (ग) प्रत्येक व्यक्ति जो खंड (क) अथवा खंड(ख) में निर्देशित किसी व्यक्ति का संबंधी हो;
- (घ) खंड (क) अथवा खंड (ख) में निर्देशित व्यक्ति का प्रत्येक सहयोगी;

(ड) किसी ऐसी संपत्ति का कोई मालिक (इस खंड में एतदपश्चात् वर्तमान मालिक के रूप में निर्देशित) जो खंड (क) अथवा खंड (ख) में निर्देशित व्यक्ति की मिलकियत में पूर्व में किसी समय रही हो जब तक कि वर्तमान मालिक अथवा, जैसा कि मामला हो, ऐसे व्यक्ति के पश्चात् एवं वर्तमान मालिक के पूर्व जिसकी मिलकियत में संपत्ति रही हो, ने पर्याप्त प्रतिफल के बदले सद्भावपूर्ण हस्तांतरित कर दिया हो अथवा कर दिया था।

स्पष्टीकरण 1:- खंड (क) के उप-खंड(i) के प्रयोजनों हेतु, किसी सामान का मूल्य जिसके विषय में किसी अपराध हेतु कोई व्यक्ति दोषसिद्ध हुआ हो भारत के व्यापार के साधारण रूप में उस सामान का वही भंडार दर जो अपराध कारित किए जाने की तिथि रही हो ।

स्पष्टीकरण 2 :- खंड (ग) के प्रयोजनों हेतु, किसी व्यक्ति के विषय में “संबंधी” से तात्पर्य:-

- (i) व्यक्ति का पति / पत्नी;
- (ii) व्यक्ति का भाई अथवा बहन;
- (iii) व्यक्ति के पति/पत्नी का भाई अथवा बहन;
- (iv) व्यक्ति का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष अथवा वंशज;
- (v) व्यक्ति के पति/पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष अथवा वंशज;
- (vi) खंड (ii), खंड(iii), खंड(iv) अथवा खंड(v) में निर्देशित व्यक्ति का पति/पत्नी;
- (vii) खंड(ii) अथवा खंड (iii) में निर्देशित व्यक्ति का कोई पारंपरिक वंशज ।

स्पष्टीकरण 3 :- खंड (घ) के प्रयोजनों हेतु, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में सहयोगी से तात्पर्य -

- (i) ऐसे व्यक्ति के आवासीय परिसर (बाहरी घर को सम्मिलित करते हुए) में जो व्यक्ति रहा हो अथवा रह रहा हो;

- (ii) कोई व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के कार्य का प्रबंध करने अथवा लेखा रखने का कार्य किया हो अथवा कर रहा हो;
- (iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थों के अधीन व्यक्तियों का कोई संघ, व्यक्तियों का मंडल, भागीदारी फर्म अथवा निजी कंपनी जिसका ऐसा व्यक्ति सदस्य, भागीदार अथवा निदेशक था अथवा हो;
- (iv) ऐसा व्यक्ति जो खंड(iii) में निर्देशित व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के मंडल, भागीदारी फर्म अथवा निजी कंपनी का सदस्य, भागीदार अथवा निदेशक था अथवा है किसी ऐसे समय जब ऐसे व्यक्ति ऐसे संघ, मंडल, भागीदारी फर्म अथवा निजी कंपनी का सदस्य अथवा भागीदार अथवा निदेशक हो;
- (v) कोई व्यक्ति जो खंड (iii) में निर्देशित व्यक्तियों के किसी संघ, व्यक्तियों के मंडल, भागीदारी फर्म अथवा निजी कंपनी के कार्यों का प्रबंध अथवा लेखा रखने का कार्य किया हो अथवा कर रहा हो;
- (vi) किसी न्यास का न्यासी जब (क) न्यास का सृजन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो; अथवा (ख) न्यास में ऐसे व्यक्ति द्वारा अंशदान की गई संपत्तियों का मूल्य (उसके द्वारा पूर्व में अंशदान की गई संपत्तियों, यदि कोई हो, के मूल को सम्मिलित करते हुए) अंशदान किए जाने की तिथि को उसकी राशि उस तिथि को न्यास की संपत्ति के मूल का बीस प्रतिशत से कम नहीं हो;
- (vii) जब सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए गए कारणों के आधार पर, यह विचार करे कि ऐसे व्यक्ति की कोई संपत्तियाँ उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति की मिलकियत में हैं, तो ऐसा अन्य व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण 4 :- किसी आशंका को दूर करने हेतु, एतद्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसके विषय में इस अधिनियम में प्रावधान लागू होते हैं कि नहीं का प्रश्न इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व हुए तथ्यों, परिस्थितियों, घटनाओं

(किसी दोषसिद्धि अथवा नज़रबंदी को सम्मिलित करते हुए) के निर्देशन अनुसार विनिश्चित किया जाएगा।

22. किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोफ़ेपोसा की धारा 3(1) के अंतर्गत नज़रबंदी का आदेश “विदेशी मुद्रा संरक्षण अथवा आवर्धन के विरुद्ध किसी भी ढंग से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य” अथवा उक्त धारा 3(1) में उल्लिखित कार्यों को करने से रोकने के उद्देश्य से किया जा सकता है। यदि सलाहकार मंडल यह पाए कि धारा 8(च) के अंतर्गत नज़रबंदी हेतु पर्याप्त कारण है तो धारा 10 के अंतर्गत नज़रबंदी की अवधि एक वर्ष अथवा “विनिर्दिष्ट अवधि” होगी जो भी पश्चात्त्वश समाप्त हो। ऐसी दशाओं में जब धारा 9 के अंतर्गत घोषणा जारी की गई हो, उक्त धारा 10 के उद्देश्य अनुसार नज़रबंदी की अधिकतम अवधि सलाहकार मंडल द्वारा अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् दो वर्ष अथवा “विनिर्दिष्ट अवधि” जो भी अवधि पश्चात्त्वश समाप्त हो रही हो, हो सकती है। धारा 10 का स्पष्टीकरण व्यक्त करता है कि “विनिर्दिष्ट अवधि” संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अन्य के साथ, दिनांक 29.06.1975 को आपात की उद्घोषणा जब तक प्रवृत्त हो वाली अवधि होगी। यदि संशोधन अधिनियम, 1975 के प्रारंभ के पश्चात् नज़रबंदी का आदेश पारित किया गया हो एवं नज़रबंदी का आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी आपात से प्रभावी रूप में निपटने हेतु ऐसे व्यक्ति की नज़रबंदी आवश्यक विचार करे तो धारा 12क के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 12क के अंतर्गत पारित ऐसे आदेश का प्रभाव प्रमुख रूप से *अमृतलाल* वाले मुकद्दमा में विचार का प्रश्नवस्तु था। अतः विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत नज़रबंदी के आदेश तीन प्रकार के हो सकते हैं; (क) साधारणतः धारा 3(1) के अंतर्गत, अथवा (ख) धारा 3(1) के अंतर्गत जिसके पश्चात् धारा 9 के अंतर्गत घोषणा की जाए अथवा (ग) धारा 3(1) एवं धारा 12क के अंतर्गत पारित।

23. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के उद्देश्यानुसार, उक्त अधिनियम में प्रावधान अन्य के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जिसके विषय में धारा 2(2)(ख) में अंतर्निहित परंतुक के अध्याधीन विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत नज़रबंदी का आदेश पारित किया गया। तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम की उक्त धारा 2(2)(ख) का परंतुक धारा 2(2) (ख) के मूल प्रावधानों के लागू होने के सम्बन्ध में चार अपवाद सर्जित करता है। प्रथमतः परंतुक के तीन भाग हैं। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत नज़रबंदी के तीन प्रकार के आदेश से संबंधित हैं जैसा कि उपरोक्त में व्यक्त किया गया एवं निर्धारित करते हैं कि यदि उनमें उल्लिखित अवधि के दौरान आदेश वापिस ले लिया गया हो तो मूल प्रावधान लागू नहीं होगा। परंतुक का भाग (iv) केवल उस समय लागू होगा जब नज़रबंदी का आदेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाए। धारा 2(2)(ख) के अंतर्गत मूल प्रावधान के लागू होने के लिए आवश्यक है कि वो मामला परंतुक के उन चारों भागों में से किसी के अधीन नहीं आता। अब हम यह देखेंगे कि क्या वर्तमान मामले परंतुक के उन भागों में से किसी के अंतर्गत आते हैं।

24. धारा 2(2)(ख) के परंतुक का भाग (i) केवल उन मामलों से संबंधित है जिन पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 9 अथवा 12क लागू नहीं होती। वर्तमान मुकद्दमा में न कोई घोषणा धारा 9 के अंतर्गत की गई थी और न ही धारा 12क के अंतर्गत कोई उद्घोषणा की गई थी। नज़रबंदी का आदेश संशोधन अधिनियम, 1975 के प्रवृत्त होने के पश्चात् भी पारित नहीं किया गया था। इस प्रकार धारा 9 एवं धारा 12क वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती। परंतुक के उक्त भाग (i) के उद्देश्य अनुसार यदि उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन नज़रबंदी का आदेश वापिस नहीं किया गया था तो धारा 2(2)(ख) के मूल प्रावधान

आवश्यक रूप से लागू होंगे। वर्तमान मुकद्दमा में ऐसी कोई वापसी नहीं हुई थी एवं परंतुक के भाग (i) के शब्दों को देखते हुए, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के प्रावधान वर्तमान मुकद्दमे पर आवश्यक रूप से लागू होंगे। परंतुक के भाग(ii) एवं (iii) ऐसे मामले हैं जहाँ धारा 9 एवं धारा 12क के प्रावधान वाले नज़रबंदी में मूल आदेश क्रमशः लागू होते हैं एवं इस प्रकार वो वर्तमान विचारण हेतु सुसंगत नहीं हैं। परंतुक का भाग (iv) ऐसे मामलों से संबंधित है जिनमें नज़रबंदी का आदेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाए एवं यह इसको ध्यान में रखे बिना लागू होता है कि मामला साधारणतः धारा 3(1) अथवा धारा 9 अथवा धारा 12(क) के अंतर्गत आता है। वर्तमान मामले में नज़रबंदी का आदेश निरस्त नहीं किया गया था एवं इस प्रकार भाग (iv) वर्तमान मामले में भी लागू नहीं हो सकता।

25. इस मामले में नज़रबंदी का आदेश परंतुक के किसी भी मान्यताओं के अधीन वापिस नहीं लिया गया था और न ही यह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था और इस प्रकार तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के प्रावधान आवश्यक रूप से लागू होंगे। यह टिप्पणी देने में उच्च न्यायालय सही था कि नज़रबंदी, “आपात के दौरान अथवा निरंतरता में लगातार चलती रही थी”। यद्धपि इस समय के दौरान याचिका लंबित रही थी एवं आपात के उठा लेने के पश्चात् सुनवाई के लिए ली गई परन्तु याचिका को गुणवत्ता के आधार पर निपटवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सुसंगतवश रोशन लाल एवं उनकी धर्मपत्नी शीलवती को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए थे जबकि नज़रबंदी के आदेश की वैधता के आधार पर तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम मुकद्दमों के चलाने की संभावना बरकरार थी इसके बावजूद मामले की बहस गुणवत्ता के आधार पर नहीं की गई। फ़ाज़िल अधिवक्ता

श्री बगई की यह निंदा कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2004 को पारित आदेश के विपरीत आदेश दिया है, बिल्कुल ही गलत है। तथापि फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री बगई द्वारा दिए गए गुणवत्ता के आक्षेप से संबंधित निवेदन पर विचार करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं।

26. वर्तमान मुकद्दमें में, दिनांक 17.01.1975 वाले प्रतिनिधित्व पर राज्य द्वारा दिनांक 11.02.1975 को विचार किया गया एवं नज़रबंद व्यक्ति को इसे रद्द किए जाने की सूचना दे दी गई। इससे बढ़कर किसी भी चरण में यह शिकायत नहीं की गई कि उसे नज़रबंदी के आधार की सूचना उसे समझ में आने वाली भाषा में नहीं दी गई। इसी प्रकार यह निवेदन कि नज़रबंदी के आधार बिल्कुल ही समान थे में भी कोई गुण नहीं है। जहाँ तक विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत नज़रबंदी के आदेश का प्रश्न है, उदाहरणों में देखे जाने वाले आधार यह थे कि नज़रबंद किए गए व्यक्ति ने सामग्रियों की तस्करी की थी जिसके आधार पर तस्करी के कार्य में उसके रुझान के विषय में आत्मनिष्ठ संतुष्टि प्राप्त की गई थी। मामले के तात्त्विक पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री बगई द्वारा उठाए गए आधार बिना किसी मूल एवं गुण के पाए जाते हैं। अतः हम उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विचार की पुष्टि करते हैं एवं उक्त निवेदन को खारिज करते हैं।

27. उपरोक्त परिस्थितियों में, रोशन लाल के विषय में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 19.12.1974 को पारित नज़रबंदी आदेश को चुनौती अनिवार्यतः विफल हो जाती है। इससे बढ़कर, विधिवत नोटिस जारी करने एवं नोटिस दिए गए व्यक्तियों को प्रत्येक अवसर प्रदान करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी एवं तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित अपीलीय अधिनियम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नोटिसों की अनुसूचियों में उल्लिखित सम्पत्तियाँ अवैध

रूप से अर्जित की गई थीं एवं वो केन्द्रीय सरकार द्वारा बिना किसी भारग्रस्तता के ज़ब्त कर ली गई। दीवानी रिट याचिका सं. 509/1996 में की गई समस्त प्रार्थनाएँ बिना किसी गुणवत्ता के होने के कारण उक्त रिट याचिका निरस्त किए जाने की पात्र थीं एवं उच्च न्यायालय द्वारा सही तौर पर खारिज कर दी गई।

28. अतः हम इस मामले में किसी भिन्न विचार करने का कोई कारण नहीं देखते एवं इस फौजदारी अपील को खारिज किया जाता है।

फौजदारी अपील सं. 1493/2009

29. इस अपील में अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 14.08.2002 को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत नज़रबंदी का आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी को दिनांक 17.12.2003 को नज़रबंद किया गया। अपीलार्थी द्वारा दायर की गई फौजदारी रिट याचिका सं. 296/2003 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दी गई कि उक्त न्यायालय को याचिका को देखने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। तत्पश्चात् प्रार्थी ने दिनांक 21.08.2003 को रिट याचिका (फौजदारी) सं. 997/2003 को दिल्ली न्यायालय में दायर किया। एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 17.12.2003 को अपीलार्थी रिहा किया गया। ऐसी रिहाई के पश्चात् दिनांक 29.03.2005 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियाँ की गईं। दिनांक 02.05.2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (फौजदारी) सं. 997/2003 को खारिज कर दिया गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह वर्तमान अपील दायर की गई है। अपील को पूर्व अपील अर्थात् फौजदारी अपील सं. 1492/2009 के संग कर दिया गया था।

30. नज़रबंदी के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य के साथ-साथ दस्तावेज़ात उपलब्ध नहीं कराए जाने, नज़रबंदी के आदेश पारित करने में विलम्ब एवं अपठनीय दस्तावेज़ात उपलब्ध कराए जाने के आधार पर चुनौती देने का प्रयास किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा उन आधारों को बिना किसी मूल के पाया गया एवं इस प्रकार की गई चुनौती को अस्वीकार किया गया। अभिलेख पढ़ने के पश्चात् उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार में हम कोई त्रुटि नहीं पाते। अतः हम इस अपील को खारिज करते हैं।

न्या.
(उदय उमेश ललित)

न्या.
(हेमंत गुप्ता)

नई दिल्ली
अप्रैल 8, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।